भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 7/25/2022-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः12 दिसंबर, 2022

जांच शुरूआत अधिसूचना
मामला संख्याः एमटीआर-10/2022

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एनीलिन" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत ।

संबद्ध वस्तु के एक आयातक और प्रयोक्ता मै. एन ओ सी आई एल लिमिटेड (जिसे आगे ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिस आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'ए डी नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे 'संबद्ध देश' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एनीलिन" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पी यू सी" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित मध्यावधि जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह संबद्ध वस्तु का एक आयातक और प्रयोक्ता है और उसने प्राधिकारी से यह निर्धारित करने के लिए मध्यावधि समीक्षा करने का अनुरोध

किया है कि क्या संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की कोई आवश्यकता है । मध्यावधि समीक्षा आवेदन संबद्ध वस्तु के आयातकों और प्रयोक्ताओं आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कच्छ कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा समर्थित है ।

क. <u>पूर्ववर्ती जांच की पृष्ठभूमि</u>

3. मूल जांच गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (''घरेलू उद्योग'') द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर जांच शुरूआत अधिसूचना सं. 33/2019-डीजीटीआर दिनांक 24 जनवरी, 2020 के माध्यम से शुरू की गई थी । प्राधिकारी ने मूल जांच में अधिसूचना सं. 6/42/2019-डी जी टी आर दिनांक 12 जून, 2020 के माध्यम से मूल जांच में एक प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए थे । उसके अनुपालन में वित्त मंत्रालय ने सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 20/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 29 जुलाई, 2020 द्वारा संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुलक लगाया था ।

4. तत्पश्चात प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 6/42/2019-डीजीटीआर दिनांक 20 जनवरी, 2021 के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे । जिसके अनुपालन में वित्त मंत्रालय ने सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 08/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक19 फरवरी, 2021 द्वारा संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था । पाटनरोधी शुल्क 29 जुलाई, 2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू है ।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार है:

"वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद "एनिलिन" है जिसे "एनिलिन तेल" के रूप में भी जाना जाता है। एनिलिन एक पारदर्शी, तैलीय द्रव है और एक प्राथमिक अमीन यौगिक है। इसका रंग ताजा डिस्टिल्ड किए जाने पर हल्के पीले द्रव में बदल जाता है। प्रकाश अथवा हवा में रखने पर इसका रंग गहरा हो जाता है। एनिलिन औषधियों, फार्मास्युटिकल, डाई तथा डाई मध्यवर्तियों जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए अनिवार्य आधारभूत ऑर्गेनिक रसायन है।

संबद्ध उत्पाद कोड 29214110 के अंतर्गत अध्याय शीर्ष 29 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

6. संबद्ध वस्तु टैरिफ कोड 29214110 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

7. चूंकि वर्तमान जांच एक मध्यावधि समीक्षा है इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा पूर्व जांच के समान है ।

ग. <u>समीक्षा के लिए आधार</u>

8. आवेदक ने प्राधिकारी से यह निर्धारित करने के लिए मध्यावधि समीक्षा करने का अनुरोध किया है कि क्या संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की कोई आवश्यकता है । आवेदन में आवेदक द्वारा बताए गए कारणों का सारांश निम्नानुसार है:-

i. मूल जांच की जांच अवधि से संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य में भारी वृद्धि हो गई है इसलिए उच्च पहुंच मूल्य पर संबद्ध वस्तु के आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती है ।

ii. बेंजीन संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए मूल कच्ची सामग्री है और उत्पादन लागत का प्रमुख हिस्सा है । बेंजीन की लागत पर पीयूसी के चीन के निर्यातकों द्वारा अर्जित स्प्रेड मूल जांच की जांच अवधि से काफी बढ़ गया है । इसी प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु पर अर्जित स्प्रेड बेंजीन लागत की तुलना में मूल जांच की पीओआई से काफी बढ़ गया है । चीन के निर्यातक और घरेलू उद्योग दोनों भारत में संबद्ध वस्तु की बिक्री के लिए काफी अधिक कीमत प्रभारित कर रहे हैं ।

iii. जांच की प्रस्तावित अवधि के दौरान प्रचलित पहुंच मूल्य पर आधारित अनुमानित क्षति मार्जिन ऋणात्मक है । समुद्री भाड़ा में वृद्धि के कारण पहुंच मूल्य को समायोजित करने के बाद भी क्षति मार्जिन ऋणात्मक रहता है ।

iv. संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की कारखाना द्वार कीमत जांच की प्रस्तावित अवधि के दौरान उसकी गैर प्रतिकारी कीमत से काफी अधिक है ।

v. प्रस्तावित जांच अवधि के दौरान समुद्री भाड़ा घट गया है परंतु संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य जांच की प्रस्तावित अवधि की शेष तिमाही में बढ़ना जारी है ।

vi घरेलू उद्योग को विगत दो वित्तीय वर्षों में भारी लाभ हुआ है । घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग बिल्कुल हाल के वित्तीय वर्ष में 100 प्रतिशत से अधिक रहा है ।

vii. भारत में मांग-आपूर्ति में भारी अंतर है और चीन जन.गण. से उच्च कीमत पर आयात जारी हैं क्योंकि घरेलू उद्योग भारत में मांग पूरी करने में असमर्थ है ।

viii. चीन जन.गण. से निर्यातक और घरेलू उद्योग अपने हितों को साधने के लिए संबद्ध वस्तु के बाजार आयोजित कर रहे हैं क्योंकि दोनों पक्षों ने संबद्ध वस्तु की कीमत बढ़ाना जारी रखा है ।

ix. प्रयोक्ता उद्योग संबद्ध वस्तु के अधिक पहुंच मूल्य के अलावा पाटनरोधी शुल्क का भी भुगतान कर रहा है । पहुंच मूल्य इतना अधिक है कि इतने अधिक आयात कीमत पर घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती है ।

x. यह कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद से परिस्थितियां काफी बदल गई हैं और ऐसे बदलाव काफी समय तक रहते हैं ।

9. आवेदक ने आग्रह किया है कि इन परिस्थितियों में बदलाव के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क की अब आवश्यकता नहीं है और इसे या तो हटाया या संशोधित किया जाना चाहिए ।

घ. <u>जांच की शुरूआत</u>

10. सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 15/2011 दिनांक 1 मार्च, 2011 द्वारा यथासंशोधित सीमाशुल्क नियमावली के नियम 23 के उप नियम (1) तथा (1क) का पाठ अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार है ।

11. अधिनियम की धारा 9क के प्रावधानों के अंतर्गत लागू कोई पाटनरोधी शुल्क तब तक और उस सीमा तक लागू रहेगा जब तक वह क्षति पहुंचाने वाले पाटन की जवाबी कार्रवाई करता है ।

12. निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां आवश्यक हो, वहां अपने स्वयं की पहल पर या किसी ऐसे हितबद्ध पक्षकार जो समीक्षा की आवश्यकता को सही सिद्ध करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, के अनुरोध पर और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद एक तर्कसंगत अवधि बीत जाने पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर उक्त पाटनरोधी शुल्क को हटाया या उसमें बदलाव किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है और इसलिए अब यह आवश्यक नहीं है, तो वह इसे हटाने की सिफारिश केन्द्र सरकार से करेंगे ।

13. पूर्वोक्त नियमों के अनुसार प्राधिकारी समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और यदि वह उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर संतुष्ट हैं कि ऐसे शुल्क को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार से इसे हटाने की सिफारिश कर सकते हैं ।

14. प्राधिकारी के समक्ष पूर्वोक्त आवेदन द्वारा उपलबध कराई गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत करना उचित समझते हैं ।

ड. <u>संबद्ध देश</u>

15. वर्तमान मध्यावधि समीक्षा का दायरा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु तक सीमित है ।

च. <u>जांच की अवधि (पीओआई)</u>

16. प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक है । क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2018-मार्च, 2019, अप्रैल, 2019-मार्च, 2020, अप्रैल, 2020-जून, 2021 और जांच की अवधि शामिल होगी ।

छ. <u>प्रक्रिया</u>

17. लागू उपाय की समीक्षा को आवश्यक बताते हुए परवर्तित परिस्थितियों को दर्शाते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अब यह मानते हैं कि अधिसूचना सं. 6/42/2019-डी जी टी आर दिनांक 12 जून, 2020 द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणामों के साथ पठित अधिसूचना सं. 6/42/2019-डीजीटीआर दिनांक 20 जनवरी, 2021 द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों और केन्द्र सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 08/2021-सीमाशुल्क (ए डी डी) दिनांक 19 फरवरी,2021 द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत करना उचित है । इस समीक्षा में अधिसूचना सं. 6/42/2019 - डी जी टी आर दिनांक 12 जून, 2020 द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणाम के साथ पठित अधिसूचना सं. 6/42/2019 - डी जी टी आर दिनांक 20 जनवरी, 2021 द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे ।

18. संबंधित ए डी नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

19. प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों jd16-dgtr@gov.in, dd15-dgtr@gov.in, adg16-dgtr@gov.in तथा adv13-dgtr@gov.in. पर भेजे जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

20. घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं, को इस अधिसूचना के पैरा 22 में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर अलग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है । सभी समस्त सूचना जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

21. अन्य कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना में यथा उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथा विहित ढंग और पद्धति से वर्तमान मध्यावधि जांच से संगत अनुरोध कर सकता है ।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें ।

झ. <u>समय सीमा</u>

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को उल्लिखित ईमेल पतों पर नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए । तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह में प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली,1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित प्रश्नावली का उत्तर देने और ऊपर उल्लिखित समय सीमा के भीतर घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां और प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

26. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है वहां उसे ए डी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण प्रस्तुत करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए ।

ञ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले वर्तमान जांच के किसी पक्षकार को ए डी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

28. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर ''गोपनीय'' या ''अगोपनीय'' अंकित होना चाहिए । ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होनी चाहिए ।

30. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण स्पष्टीकरण वाला ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि वह सारांश संभव क्यों नहीं है और यह विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि की सीमा तक दिया जाना चाहिए । अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज का अगोपनीय अंश प्रापत होने के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।

31. गोपनीयता के दावे के संबंध में ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण कारणों के विवरण के बिना किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बगैर प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा ।

ट. <u>अन्य हितबबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तरों/अनुरोधों को साझा करना</u>

32. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी ।

ठ असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तर्कसंगत समयावधि या समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

31/12

(अनन्त स्वरूप)

संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी